न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 62/2023
जीसीएमएस नं. : 2023/79

1. इन्द्रा देवी पत्नी नत्थूराम जाति गेघवाल निवासी वार्ड नं. 16 श्रीविजयनगर तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. छिन्द्र सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति जटसिख निवासी चक 12 बीएलएम ए तहसील श्रीविजयनगर **(विलोपित)**
   परमजीत कौर पत्नी दर्शन सिंह जटसिख निवासी 13 एनआरडी बी तहसील रायसिंहनगर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री साहिब बाघला, अधिवक्ता प्रार्थी
2. राजपैरोकार
3. एकपक्षीय, अप्रार्थी सं. 1

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 12 बीएलएम ए मु.नं. 32 प.नं. 216/417 कि.नं. 5/1,5/2,6,14,15,16 में 1.265है. कमाण्ड में आने जाने हेतु अप्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 12 बीएलएम ए मु.नं. 32 प.नं. 216/417 कि.नं. 25/1 में से दो बिस्वा यानि 0.025है. पूर्व दिशा रकबा उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक/683 दिनांक 08.10.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।
3. तहसीलदार श्रीवियजनगर की रिपोर्ट के अनुसार वादी को रास्ते की आवश्यक्ता है। वादी को जोत में जाने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता नहीं है। वर्तमान में कि.नं. 24 व 17 में होकर आवागमन किया जा रहा है। कि.नं. 25 में रास्ता चाहा गया है वहां कि.नं. 25 के दक्षिण पूर्वी कोने में समाधि बनी हुई है। जिसमें चाहा गया रास्ता करने से सुगमता प्रमाणित होती है। मु.नं. 32 कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृत रास्ता है इसके अलावा इस मुरब्बा में ओर कोई स्वीकृत रास्ता नहीं लगता है।
4. बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित मार्ग स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।
5. बहस वकील प्रार्थी पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा का गहनता से परिशीलन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में प्रवेश हेतु कि.नं. 25 में पूर्वी पासा उतर से दक्षिण दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया है। कि.नं. 25 में दक्षिणी पूर्वी कोना पर समाधि बना हुआ है। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है वैकल्पिक मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम मार्ग है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:19:59 IST
Reason: SelfAttested

6. ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है, तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर अंकित है परन्तु अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। कि.नं. 25 के दक्षिणी दिशा में स्वीकृत शुदा रास्ता है तथा दक्षिणी पूर्वी कोना पर समाधि बनी हुई है, प्रार्थी द्वारा पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण रास्ता चाहा गया है। ऐसे में समाधि के पश्चिम दिशा और इसके उपरान्त समाधि के उपर उत्तर दिशा की ओर से घूमते हुए पूर्व की ओर पुनः पत्थर लाईन के साथ साथ रास्ता स्वीकार किया जाना न्यायसंगत है।

—: आदेश :—

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी की भूमि चक 12 बीएलएम ए मु.नं. 32 प.नं. 216/417 कि.नं. 25/1 में से दो बिस्वा पूर्वी पारा रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में समाधि के पश्चिम दिशा में समाधि के साथ साथ और इसके उपरान्त समाधि के उपर उत्तर दिशा की ओर से समाधि के साथ साथ घूमते हुए पूर्व की ओर पुनः पत्थर लाईन के साथ साथ उत्तर से दक्षिण दिशा रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि एवं उस पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:19:59 IST
Reason: SelfAttested